न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 61/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. दरियाव पत्नि अमराराम 2. गोपाल पुत्र अमराराम 3. निरमा पुत्री अमराराम 4. राधेश्याम पुत्र अमराराम 5. शैलेन्द्र पुत्र अमराराम वादीगण संख्या 4, 5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दरियाव जातियान–बावरी, निवासीगण भाकरवास, तहसील–जैतारण जिला–पाली (राज.)		1. अमराराम पुत्र रामदान जाति–बावरी, निवासी–भाकरवास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली 2. कैलाशचन्द्र पुत्र झुमर जाति–खटीक, निवासी–जैतारण 3. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज.) 4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.07/03/2018

उपस्थितः. 1. श्रीमती संगीता व्यास, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 12/06/2018**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा–भाकरवास, पटवार हल्का–सांगावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र–निमाज, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) में वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 56–04 बीघा किस्म चाही दोयम एवं खसरा नम्बर 3 रकबा 70–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। जिस पर वादीगण अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते चला आ रहा है, इस वर्ष भी वादीगण ने अपने भूमि में सावणु फसल बो रखी है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार की भूमि है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादीगण के परिवार की निम्न वंशावली इस प्रकार है– बिरदाराम फौत का पुत्र रामदान, रामदान फौत के पुत्र गोकल, हडमान(फौत), मल्लाराम, अर्जुनराम एवं अमराराम है। दरियाव पत्नि अर्जुनराम, गोपाल पुत्र अर्जुनराम, राधेश्याम पुत्र अर्जुनराम, शैलेन्द्र पुत्र अर्जुनराम, निरमा पुत्री अर्जुनराम। उपरोक्त वंशावली अनुसार वादीगण के दादा व ससुर रामदान फौत हो चुके है, जिनके वारिसान पांच पुत्र है। क्रमशः गोकल, हडमान, मल्लाराम, अर्जुनराम तथा प्रतिवादीगण संख्या एक अमराराम है। प्रतिवादीगण संख्या एक अमराराम वादीगण के पति व पिता है तथा वादीगण के साथ निवास करते है। वादीगण के पिता व पति प्रतिवादीगण संख्या एक अमराराम आदतन शराब की लत है तथा स्मैक, गांजा, अमल का नशा भी करता है एवं नशेड़ी प्रकृति का व्यक्ति है। दिनांक 05/01/2018 को वादीगण के पति व पिता ने पारिवारिक कारणों को लेकर बोलचाल हो गई तो वादीगण के पिता व पति ने धमकी दी कि वह अलग मकान लेकर रहेगा तथा अपने हिस्से की

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचकर मिलने वाली रकम को शौक मौज शराब गांजा स्मैक अमल में उड़ा देगा तथा वादीगण को भूमिहीन कर देगा, वादीगण ने अपने पिता व पति को समझाया तो भी वहा अपनी जिद्द पर अडा रहा तथा उसने दिनांक 10/01/2018 को 500 रूपये के स्टाम्प पर खसरा नम्बर 8 रकबा 56 बीघा 4 बिस्वा की भूमि का 1/4 का 1/5 का 26 वां, 56 वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या दो कैलाशचंद्र को बेचान इकरारनामा के जरिये बेचान कर दी जिसकी फोटोप्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वादीगण द्वारा दिनांक 05/03/2018 को राजस्व रेकर्ड की वादग्रस्त भूमि एवं अन्य भूमि बाबत् तहसील कार्यालय से नकले प्राप्त की वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जो वादीगण के ससुर व दादा रामदान पुत्र बिरदा के नाम प्रारम्भ में ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर उनके कब्जे काश्त में थी। रामदान की अन्य कृषि भूमि भी थी जो भाई बंट में वादीगण के दोनों काका के हिस्से में चली गई। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या एक अमराराम के बंट में आई इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण संख्या 2 से 5 का जन्म के साथ ही हक हिस्सा व अधिकार कानूनन उत्पन्न हो गए तथा आज दिन भी उक्त भूमि ही वादीगण के परिवार के जीवनयापन का साधन है। इस कृषि भूमि ही वादीगण के परिवार के जीवनयापन का साधन है। इस कृषि भूमि की उपज से ही वादीगण फसल लेते है व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। प्रतिवादीगण संख्या एक अमराराम को अकेले उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है एवं जरिये बेचान इकरारनामा के जरिये 500 रूपये के स्टाम्प पर बेचान कर दिया है जो कि कानूनन गलत बेचान किया गया है अगर प्रतिवादीगण संख्या एक वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान पंजीयन अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या दो कैलाशचंद्र को बेचान कर देता है तो वादीगण को अपने खातेदारी, काश्तकारी एवं जीवनयापन साम्पैतिक व कानूनी अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा तथा वादीगण को असीम क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वादीगण को अपने अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है। लिहाजा यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान्‌जी की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प-सांगावास पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजुद सम्मन सूचना/तामिल के अनुउपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील सायलान ने जाहिर किया कि प्रतिवादी सायल संख्या 1 का पति एवं 2 से 5 का पिता है। पैतृक पुश्तैनी भूमि बेचने पर आमदा है। यदि उक्त विवादित आराजी का बेचान कर देता है तो वादीगण पैतृक पुश्तैनी भूमि से अपना हक अधिकार हमेशा हमेशा के लिये खो लेगें। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त विवादित आराजी को बेचान करने व दखलंदाजी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा के लिये रोका जाकर पाबंद किया यि जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली एवं दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम में भी जानकारी ली गई। वाद मौजा सांगावास में स्थित खसरा नम्बर 8 रकबा 56-04 बीघा व खसरा नम्बर 3 रकबा 70-13 बीघा आराजी पैतृक पुश्तैनी है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त विवादित आराजी को बेचने पर आमादा है। वादीगण संख्या 1 के वारिसान है। अतः उक्त विवादित आराजी में से वादीगण के नौशनल शेयर तक के हिस्से का बेचान, हस्तान्तरण बख्शीश आदि नहीं करने व स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंद किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

–::आदेश::–

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–भाकरवास, पटवार हल्का–सांगावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र–निमाज, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) में वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 56–04 बीघा किस्म चाही दोयम एवं खसरा नम्बर 3 रकबा 70–13 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण के नौशनल शेयर तक के हिस्से का बेचान, हस्तान्तरण बख्शीश आदि नहीं करने व स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंद किया जाता हैं। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार जैतारण को डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

12/6/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–सांगावास में सुनाया गया।

12/6/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)